राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 7(51)परि/नियम/मु./2023/ 8200 जयपुर दिनांकः 24-5-23

<u>कार्यालय आदेश संख्या 13/2023</u>

<u>दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के लिए अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों हेतु दिशा–निर्देश</u>

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.09.2021 को अधिसूचना जीएसआर 326 जारी कर राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.18 के बाद परिवहन यान श्रेणी के वाहन चालकों के लाईसेंस नवीनीकरण हेतु आवश्यक 2 दिवसीय रिफ्रेशर कॉर्स करवाने हेतु नियम 2.18A जोडा गया। इस हेतु प्रशिक्षण संस्थानो को अधिकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. परिभाषाएंः–

''**अधिनियम**'' से तात्पर्य मोटर यान अधिनियम, 1988 से है,

''**नियम** '' से तात्पर्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990से है।

''**रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण संस्थान**'' राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.18 ए के प्रावधानो के तहत भारी वाहन चालको को लाईसेसं नवीनीकरण हेतु दो दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स प्रदान किये जाने वाले संस्थान से है।

''**रिफ्रेशर कोर्स प्रमाण पत्र**'' से तात्पर्य है राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.18 ए के प्रावधानो के अधीन प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र से है।

''**प्राधिकार पत्र**'' से तात्पर्य है राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.18 ए के प्रावधानो के अधीन रिफ्रेशर प्रशिक्षण केन्द्र को जारी किये जाने वाले अनुज्ञप्ति से है।

''**रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी**'' से तात्पर्य राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.18 ए के प्रावधानो के अधीन रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण संस्थान को अनुमत किये जाने हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी से है।

2. **रिफ्रेशर प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवेदक की पात्रताएंः–**

केन्द्र/राज्य सरकार के किसी विभाग/निकाय/बोर्ड के वाहन चालको को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत संस्थान

अथवा

अधिकृत Institute Of Driver Training and Research (IDTR)

अथवा

अधिकृत Automated Driver Training Center(ADTC) संस्थान

3. **प्राधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया** :–दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने/ नवीनीकरण करने हेतु प्राधिकारी परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी होगा। नवीन प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा परिवहन आयुक्त को इन नियमो के अधीन प्रारूप 1 मे निर्धारित शुल्क 10,000/–रूपये भुगतान की रसीद संलग्न कर किया जायेगा।

परिवहन आयुक्त द्वारा आवेदक को दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के प्रशिक्षण संस्थान को अधिकृत करने से पूर्व संस्थान के आवश्यक भवन, उपकरण, क्लिनिक इत्यादि की व्यवस्थाएं पूर्ण करने हेतु LOI (45 दिवस अवधि) जायेगी।

आवेदक द्वारा संस्थान की स्थापना हेतु वांछित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर परिवहन आयुक्त को सूचित किया जायेगा। परिवहन आयुक्त द्वारा संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से संस्थान की जांच कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर एवं संतुष्ट होने पर संस्थान को प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि 2 वर्ष की होगी एवं इसके उपरान्त रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी को आवेदन करने पर प्राधिकार पत्र की वैधता 2 वर्ष के लिए बढाया जायेगा।

4. **<u>रिफ्रेशर कोर्स हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता</u>**:–

1. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा या राजस्थान प्रावधायिक शिक्षा मण्डल जोधपुर द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक में प्रशिक्षण अथवा ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा की तकनीकी योग्यता अथवा इससे उच्चतर अर्हता।
2. मोटर वाहन अधिनियम की शिड्यूल में वर्णित यातायात चिन्हों का ओर धारा 118 के अधीन बनाये गये रोड रेगूलेशन का पूर्ण व अद्यतन ज्ञान।
3. मोटर वाहन के विभिन्न संघटकों, कल–पुर्जो के कृत्यो व उनकी कार्य प्रणाली को स्पष्ट करने की पर्याप्त योग्यता।
4. अंग्रेजी अथवा हिन्दी व क्षेत्रीय भाषा का पूर्ण ज्ञान।
5. मध्यम एवं भारी वाहनों को चलाने हेतु परिवहन यान श्रेणी की चालन अनुज्ञप्ति और कम से कम 3 वर्ष का चालन अनुभव हो।

5. **ड्राईविंग ट्रेनिंग इस्टीटयूट पर कार्य करने वाले कार्मिकों का विवरण**:–

(i) न्यूनतम दो अनुदेशक
(ii) न्यूनतम दो आई.टी. कार्मिक
(iii) एक सफाईकर्मी

6. **ड्राईविंग ट्रेनिंग इस्टीटयूट हेतु आवश्यक भवन**–

कक्षों की न्यूनतम संख्या	कक्षों का क्षेत्रफल एवं विवरण
1. स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर मय प्रिन्टर इत्यादि।	न्यूनतम 150 वर्ग फीट मय फर्नीचर

2. अध्ययन कक्ष (न्यूनतम 2 कक्ष)	प्रत्येक कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट होना अनिवार्य है, इस कक्ष में न्यूनतम 40 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने हेतु अपेक्षित फर्नीचर रखना होगा।
3. मॉडल, चार्ट व उपकरण हेतु प्रदर्शन कक्ष	300 वर्ग फीट मय फर्नीचर
4. मूलभूत सुविधाएं	पुरूष एवं महिला प्रशिक्षार्थियों के अनुसार पर्याप्त रूप से पृथक–पृथक।

7. प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम उपकरण, मॉडल्स, चार्ट इत्यादि जो ड्राईविंग ट्रेनिंग इस्टीटयूट_में आवश्यक है

1. ब्लैक बोर्ड।
2. आवश्यक संकेतों के साथ एक रोड प्लान बोर्ड।
3. ट्रैफिक साईन चार्ट।
4. ऑटोमेटिक सिगनल्स का चार्ट एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ से दिये जाने वाले सिगनल्स के चार्ट।
5. मोटर यान के सभी कम्पोनेन्ट विवरण प्रदर्शित करने वाला सर्विस चार्ट।
6. ड्राईविंग इन्स्ट्रक्शन मैन्युअल।
7. आवश्यकतानुसार कुर्सी, टेबिल, बैंच आदि फर्नीचर।
8. ऑटोमोबाईल मेकेनिज्म, ड्राईविंग, रोड सेफ्टी, रोड एण्ड ट्रेफिक रेगूलेशन, मोटर व्हीकल लॉ एवं अन्य संबंधित किताबों, अधिसूचनाओं, विभागीय परिपत्रों का अद्यतन संग्रह।
9. आपात काल हेतु पर्याप्त अग्निशमन, यन्त्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि व्यवस्था।

8 .प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीक का समावेश एवं अभिनव प्रयोगः–

1. प्रशिक्षण केन्द्र पर वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु आधुनिक प्रशिक्षण सामग्री यथा लेपटॉप, प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया माडयूल विकसित करने सबंधी आवश्यक उपकरण होने चाहिये।
2. केस अध्ययन, दुर्घटना अनुसंधान एवं संबंधित विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किये जायें।

नोटः– ड्राईविंग ट्रेनिंग इस्टीटयूट का भवन संस्थान के स्वयं का या किराये या लीज पर लिया गया हो तथा परिसर अगर किराये/लीज पर लिया गया हो तो किरायानामा/लीज की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष होगी।

फीसः–अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों को प्रति संस्थान 25000/रूपये सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा करवाये जायेगे।

9. <u>रिफेशर कोर्स हेतु प्रक्षिशार्थियों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एवं शुल्क :–</u>

1. दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स हेतु प्रशिक्षणार्थी से अधिकतम शुल्क राशि 1000 रू + जीएसटी वसूल की जा सकेगी, जिसका भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से लिया जायेगा।

2. संस्थान द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी जिसे रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है, के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षणार्थी का नाम, पता, चालन प्रशिक्षण का विवरण एवं ली गई फीस का विवरण दर्ज किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण हेतु प्राप्त की गई फीस के संबंध में रसीद भी जारी की जायेगी।
3. संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थी की सुविधा हेतु स्लॉट/बैच की उपलब्धता की सूचना वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावे एवं ऑनलाईन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किये जाने का विकल्प भी रखा जाये।

10. रिफ्रेशर कोर्स हेतु अधिकृत संस्थान की इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मोनिटरिंगः—

1. ड्राईविंग ट्रेनिंग इस्टीट्यूट द्वारा अपने समस्त कार्मिकों एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु संचालन प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की जाये।
2. ड्राईविंग ट्रेनिंग इस्टीट्यूट द्वारा समस्त अध्ययन कक्षों में संचालन प्रारम्भ होने के एक माह के भीतर सीसीटीवी कैमरा स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जाये यह न्यूनतम 1 माह तक के स्टोरेज के साथ हो जो कि परिवहन विभाग द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जानी होगी।

11, प्रशिक्षण केन्द्र में स्थापित क्लिनिक के माध्यम से शारीरिक जांचः—

प्रक्षिशणार्थी को दो दिवसीय रिफेशर कोर्स का प्रशिक्षण के पश्चात संस्थान में स्थापित क्लिनिक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा सामान्य शारीरिक जांच की जायेगी उक्त जांच में सही पाये जाने पर निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। शारीरिक जांच का पृथक से कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

12. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी के लिए प्रशिक्षण केन्द्रो की मॉनिटरिंग हेतु प्रावधान—

1.अधिकृत संस्थान से की नियमित रूप से जांच 6 माह में न्यूनतम एक बार संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा एवं 2 बार जिला परिवहन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में की जायेगी।
2.प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत अनुदेशक एवं अन्य कार्मिको की सूचना संबंधित परिवहन आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
3.अनुदेशक की योग्यता के आधार पर दस्तावेजो का परीक्षण रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा जांच कर आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति अथवा परिवर्तन किया जा सकेगा।

13. अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रो की कार्यप्रणाली के संबंध में दिशा—निर्देश—

1. प्रशिक्षण केन्द्र में जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर रहा है, उनका विवरण प्रतिमाह 10 तारीख से पूर्व ई—मेल के द्वारा लाईसेंसिंग अधिकारी एंव संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को निम्न तालिका में भेजना सुनिश्चित करेगें:—

क्र.सं.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि		सफल/असफल	प्रशिक्षण अपूर्ण	जारी प्रमाण पत्र संख्या
		दिनांक से	दिनांक तक			

2. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के चाहने पर उसके अवलोकन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी समस्त रिकॉर्ड, रजिस्टर आदि अविलम्ब उपलब्ध कराये जायेगें।
3. प्रशिक्षण केन्द्र पर अनुदेश का नाम योग्यता संबंधी विवरण सदृश्य स्थान पर लगाया जायेगा।
4. विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।
5. सडक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु सदैव तत्पर रहना एवं इस हेतु समग्र रूप से योगदान करना विशेष रूप से अपेक्षित होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सडक सुरक्षा संबंधी फिल्म/डॉक्यूमेन्ट्री व अन्य प्रोग्राम का प्रदर्शन प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक द्वारा उसके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियो की सूची प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करवानी होगी।
8. संचालक द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्राप्त की गई फीस के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें प्रशिक्षणार्थी का नाम, पता, प्रशिक्षण का विवरण एवं ली गई फीस का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण हेतु प्राप्त की गई फीस के संबंध में रसीद भी जारी की जायेगी।
9. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आवश्यक पाठ्यसामग्री, किताबे एवं मैग्जीन आदि पृथक से लाईब्रेरी रूम या पारदर्शी अलमारी में इस प्रकार रखी जायेगी कि प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो सके।

14. प्रशिक्षण केन्द्र की अनुज्ञप्ति निलंबित या निरस्त करने की शक्तिः– अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों को मोटर यान अधिनियम, 1988 व इसके अधीन बने केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 क व राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के प्रावधानों की पालना की जायेगी एवं इनमे किये गये संशोधन प्रशिक्षण केन्द्रो पर समान रूप से लागू रहेगें।

अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र यदि मोटर वाहन नियमों की पालना करने में असफल रहता है अथवा इस स्कीम मे उल्लेखित प्रावधानों की पालना करने में असफल रहता है अथवा स्कीम में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की अनुपालना करवाने में असफल रहता है। रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाकर सुनवाई का मौका देकर प्रथम बार निलंबित करेगें अथवा अमानत राशि जब्त करेगें।

प्रशिक्षण केन्द्र की पुनः जांच के दौरान भी यदि अनियमितता पायी जाती है तो प्रशिक्षण केन्द्र के प्राधिकार पत्र को नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिया जाकर निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
प्राधिकार पत्र धारक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निलंबन एवं निरस्त की अवधि में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नही दिया जायेगा। रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी परिवहन आयुक्त होगें।

अतः परिवहन यान श्रेणी के वाहन चालकों के प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण के लिए दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रो की गुणवत्ता को लेकर समय पर आने वाली कठिनाईयों के निवारण के संबंध में समय समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी आदेश योजना के ही भाग होगें।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

8201-07
क्रमांकः एफ7(51)परि/नियम/मु./2022/रिफेशर कोर्स/I जयपुर दिनांकः 24-5-23

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिं. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट में अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Certificate No.

CENTER NAME

Transport & Road Safety Department,

Government of Rajasthan

This Certificate is awarded to ....S/o ....having Licence No. .... in recognition of ....having undergone driving training in two days refresher course from ....to .... is declared successful in the theoretical and practical tests conducted by the institute at ....(Center name & address).

Center Seal

Date

(Name & Sign)
Authorised Signatory

(Name & Sign)
Instructor

प्रारूप-1

To,

The Transport Commissioner,

The undersigned hereby applies for obtaining a licence to run the business of imparting instructions in driving of motor vehicle as driving training Institute for 2 day refresher course (Rule 2.18 A of RMVR,1990) :-

1. Name of applicant Institute ....
2. Address ....
3. Full name of the applicant ....
4. Address ....
5. Place where the applicant desires to start his business ....
6. Nature and extent of facilities available ....
   - (i) Building
   - (ii) Devices and Apparatus for imparting training
   - (iii) Website
7. I have paid the fee of Rs. ....

Date..................

....
Seal & Signature of the applicant

Scanned with CamScanner